रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1972/पौष 16, 1893

No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1972/PAUSA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

SURTAX

New Delhi, the 6th January 1972

S.O. 18(E).—In pursuance of clause (v) of rule 1 of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby notifies the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Limited, Jaipur, as a financial institution for the ourposes of the said clause in respect of the assessment year commencing on and from the 1st day of April, 1971 and any subsequent year.

[No. 11/147(6)71-TPL.]

R. D. SHAH, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

अतिकर

नई दिल्ली, 6 जनवरी 1972

का० आ० 18 (अ).—कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की द्वितीय अनुसूची के नियम 1 के खण्ड (v) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, लिमिटेड, जयपुर को 1 अप्रैल, 1971 को और से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी पश्चात्वर्ती वर्ष की बाबत उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये वित्तीय संस्था के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं० 11/147(6)/71—टी० पी० एल०]

आर० डी० शाह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972